

अनवान

2025/276

सुरेन्द्र कुमार पुत्र कमोडीमल बालन
 नि० बे० त० बे०
 वनाम प्रार्थी / प्रार्थीगण

अमित कुमार पुत्र ज्ञान चन्द महाजन
 नि० बे० त० बे०
 विपक्षी / विपक्षीगण

:: आदेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत बाबत पत्थरगढी करने:

न्यायालय में अधिवक्ता श्री C.L. दुबकी के द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट के तहत हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसके बाद जाँच दर्ज किया जाकर प्रकरण में जाँच किये जाने पर पाया कि प्रार्थी/प्रार्थीगण वर्णित आराजीयात का खातेदार है तथा प्रार्थी द्वारा उनके खातेदारी की कृषि आराजी मौजा झलकेश पटवार हल्का बे० की आराजी संख्या 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 402 कुल कीता-08 कुल रकबा 1.8070 है। कृषि भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज का अवलोकन हमारे द्वारा किये जाने पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने योग्य पाया गया है। अतः प्रार्थी/प्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की छायाप्रति इस आदेश के साथ संलग्न की जाकर आपको आदेश दिया जाता है कि प्रार्थी/प्रार्थीगण के खातेदारी की कृषि आराजी मौजा झलकेश पटवार हल्का बे० की आराजी संख्या 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 402 कुल कीता-08 कुल रकबा 1.8070 है। भूमि की पत्थरगढी हेतु सूचना पत्र जारी कर प्रार्थी/प्रार्थीगण एवं विपक्षी/विपक्षीगण की उपस्थिती में प्रार्थीगण से पत्थरगढी शुल्क की राशि 2000/- प्राप्त करते हुए मौके की पत्थरगढी की जावें।

संलग्न :- प्रार्थना पत्र कीता-(4)

व्य
 उपखण्ड अधिकारी, बेगू
 जिला चितौडगढ़(राज.)

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 358 दिनांक :- 28/5/25
 प्रार्थना पत्र संख्या 109/25 व अनवान सुरेन्द्र कुमार प्रार्थना पत्र अध्या 128 एल.आर.एक्ट में न्यायालय द्वारा दिये गये आदेश की प्रति आपको वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

व्य
 उपखण्ड अधिकारी, बेगू
 जिला चितौडगढ़(राज.)

नगर - डाक्टर (डी) पत्रा (का) विगा (डी) डाक्टर (डी) रिप (डी)
य पत्रा (का) दस्ता (का) लॉ (का)